सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

चैत्र 04, मंगलवार, *शाके* 1947- मार्च 25, 2025
Chaitra 04, Tuesday, Saka 1947- March 25, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2025

संख्या:04/भू.अ./ज.स./2025/399-403:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली तह. छबड़ा के ग्राम खेरखेड़ा नाथूराम, अमीनपुरा (जाटपुरा), पटना, खेरखेड़ा गुसाई, मुण्डक्या एंव तहसील छीपाबड़ौद के ग्राम मूण्डकी, मोहम्मदपुरा, शॉखा जागीर, मण्डोला, मूण्डा घटा, डबरी, कोटड़ी, कोटड़ा खाण्डेराव की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, द्वितीय छबड़ा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत, बांरा होगे।

विवरण

अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले खसरों की भूमि ग्राम खेरखेडा नाथूराम, अमीनपुरा(जाटपुरा), पटना, खेरखेडा गुसाई, मूण्डक्या तहसील छबड़ा एवं ग्राम मूडकी, मोहम्मदपुरा, शाखॉ जागीर, मंण्डोला, मूण्डा घटा, डबरी, कोटडी, कोटडा खाण्डेराव तहसील छीपाबड़ौद में भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 नियम 2016 की धारा 4(1) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव जिला बारां।

क्र. स.	परि. का	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील जिला	निजी भूमि	सरकारी भूमि	कुल भूमि	भूमि अवाप्त अधिकारी

	नाम			राज्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		खेरखेडा नाथूराम	मूण्डक्या	छबड़ा जिला बारां राजस्थान	78.15	203.00	281-15	जल संसाधन वृत्त बारां
2		अमीनपुरा (जाटपुरा)	मूण्डक्या		232-65	146-40	379-05	जल संसाधन वृत्त बारां
3		पटना	मूण्डक्या		817-55	346-75	1164-30	जल संसाधन वृत्त बारां
4		खेरखेडा गुसाई	कडिया नोहर		299-55	0-80	300-35	जल संसाधन वृत्त बारां
5		मूण्डक्या	मूण्डक्या		372-15	131-60	503-75	जल संसाधन वृत्त बारां
1		मूण्डकी	पीथपुर	छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान	26-70	147-50	174-20	जल संसाधन वृत्त बारां
2		मोहम्मदपुरा	पीथपुर		923-00	298-95	1221-95	जल संसाधन वृत्त बारां
3		शाखॉ जागीर	पीथपुर		855-90	540-25	1396-15	जल संसाधन वृत्त बारां
4		मंण्डोला	झनझनी		299-65	134-45	434-10	जल संसाधन वृत्त बारां
5		मूण्डा घटा	पीथपुर		243-55	340-55	584-10	जल संसाधन वृत्त बारां
6		डबरी	मानपुरा		36-65	72-60	109-25	जल संसाधन वृत्त बारां
7		कोटडी	मानपुरा		6-90	38-10	45-00	जल संसाधन वृत्त बारां
8		कोटडा खाण्डेराव	मानपुरा		21-50	35-00	56-50	जल संसाधन वृत्त बारां
			कुल भूमि राज0	बीघा	4213-90	2435-95	6649-85	
			कुल भूमि राज0	हेक्टेयर	682-42	394-49	1076-91	
9			फॉरेस्ट भूमि राज0	हेक्टेयर	-	-	60-40	
10		खानपुरा एवं तारापत्नि	मध्यप्रदेश राज्य	हेक्टेयर	22-43	21-42	43-85	

अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना

				महायोग हेक्टेयर			1181-16	

फार्म-2

(देखें-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोंजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, द्वितीय छबड़ा
(ख)	प्रस्तावित योंजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले खसरों की भूमि ग्राम खेरखेडा नाथूराम अमीनपुरा (जाटपुरा) पटना, खेरखेडा गुसाई, मूण्डक्या, तहसील छबड़ा एवं ग्राम मूडकी, मोहम्मदपुरा, शाखॉ जागीर, मंण्डोला, मूण्डा घटा, डबरी, कोटडी, कोटडा खाण्डेराव तहसील छीपाबड़ौद में भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अर्जन] पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 नियम 2016 की धारा 4(1) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव। राजस्थान राज्यः- 1- निजि भूमि 42-682 -हेक्टेयर 2- सरकारी भूमि 394-49 हेक्टेयर 3- फॉरेस्ट भूमि 60.40 हेक्टेयर मध्यप्रदेश राज्यः 1- निजि भूमि 22.43 -हेक्टेयर 2- सरकारी भूमि 21.42 हेक्टेयर 3- कुल भूमि 1181.16 -हेक्टेयर
(ग)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(घ)	यदि ग्राम सभा और/ भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारें में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(ड़)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार

	प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योंजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगे।	
(च)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हों जाएगी।	हां
(छ)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, द्वितीय छबड़ा

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।